मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 21 जून,2017

क्रमांक-एफ बी-4-09/2015/2/पांचः राज्य शासन एतद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाओं के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों को स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस के संबंध में दी जाने वाली अपफ्रन्ट छूट के संबंध में निम्नानुसार निर्णय करता है :-

1. कृषकों, विद्यार्थियों, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों आदि को छोड़कर, उद्योग व विकास योजनाओं को प्रोत्साहन स्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में दी जाने वाले छूटें अपफ्रंट न देते हुए उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जावेंगी। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों में, जिनमें छूट के प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे, की अधिसूचना पृथक से जारी की जावेगी।

2. संबंधित प्रशासकीय विभाग नये प्रावधान लागू होने की निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी नीति एवं बजट में तदविषयक समुचित प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

3. प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को दस्तावेज के पंजीयन के समय प्रचलित नियमानुसार स्टाम्प व रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करना होगा तथा संबंधित प्रशासकीय विभाग की नीति के अंतर्गत प्राप्त होने वाली छूट की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित विभाग में तय प्रक्रिया अनुसार पंजीबद्ध दस्तावेज की सत्यापित प्रति स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण फीस के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करनी होगी।

4. ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित विभागों द्वारा अपनी नीति में निर्धारित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर प्रतिपूर्ति की कार्यवाही विभाग के लिए निर्धारित बजट शीर्ष से की जाएगी। इस विषय में संबंधित विभागों द्वारा सुसंगत नियम तथा प्रक्रियाऐं अपने स्तर पर निर्धारित की जावेगी।

5. प्रतिपूर्ति के संबंध में नये प्रावधान 01 अक्टूबर 2017 से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.डी.रिछारिया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

निरंतर..2

पृ. क्रमांक–एफ बी–4–09/2015/2/पांच भोपाल दिनांक 21 जून, 2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग।
4. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
5. प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और उद्यानिकी विभाग।
6. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
7. प्रमुख सचिव, पयर्टन विभाग मध्यप्रदेश।
8. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग।
9. आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग